न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 24/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कस्तूरी पत्नी रामाराम 2 हनुमानराम गोदपुत्र रामाराम 3 मूलाराम गोदपुत्र पोला 4 चूना पुत्र रासींगा 5 इसरा 6 खेता पिसरान गुमना जाति कुम्हार निवासी सरलीकलां, सरलरी तहसील व जिला बाडमेर।		1 भगवानाराम 2 गोमाराम 3 लूणाराम पिसरान पूनमाराम 4 मूली पत्नी पूनमाराम 5 रूगा पुत्र भारू के कायम मुकाम 5/1 जोगाराम पुत्र रूगाराम 6 गोबता पुत्र भारू 7 बाबूलाल 8 जोगाराम पिसरान तगाराम 9 नेती पत्नी तगाराम 10 हनुमान पुत्र लच्छा 11 लाली पत्नी लच्छा 12 खेमाराम पुत्र पीरा 13 प्रतापाराम पुत्र डूंगरा 14 मांगीलाल 15 रविलाल पिसरान अमृतलाल 16 कमला पत्नी अमृतलाल जाति कुम्हार निवासी सरलीकलां, सरली तहसील व जिला बाडमेर 17 तहसीलदार बाडमेर 18 शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा कुड़ला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री मुकेश जैन वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 03-01-2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सरली कलां पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 78 रकबा 0.08 बीघा खसरा संख्या 87 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 88 रकबा 68.10 बीघा कुल रकबा 69.05 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 17 के खेत खसरा नम्बर 677/89 रकबा 02.14 बीघा में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण उपवर्णित भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा उनके पत्रांक भूअ./2019/6158 दिनांक 10.12.2019 के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थीगण के मौजा सरली कलां पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 88 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 677/89 में से रास्ते हेतु प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 01 से 17 की भूमि से मुख्यमार्ग तक जाने हेतु ग्राम सरली कलां तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 677/89 रकबा 02.14 बीघा में से रकबा 0.02 बीघा भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा आवेदन दायर करने के पश्चात मौके पर रांग भरी गई है व अन्य निर्माण नही है। उक्त मार्ग न्यूनतम दूरी का है व कटान मार्ग किये जाने की अभिशंसा की है।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तथा मौके पर भूमि खाली है। उक्त मार्ग न्यूनतम दूरी का है व कटान मार्ग किये जाने की अभिशंसा की है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थीगण को आने–जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ते की मांग उचित प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। मौजा सरली कलां पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 88 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 677/89 में से रास्ते हेतु प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 01 से 17 की भूमि से मुख्यमार्ग तक जाने हेतु ग्राम सरली कलां तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 677/89 रकबा 02.14 बीघा में से रकबा 0.02 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शा में बरंग गुलाबी दर्शाया है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थीगण राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थीगण भगवानाराम, गोमाराम, लूणाराम पिसरान पूनमाराम, मूली पत्नी पूनमाराम, रूगा पुत्र भारू के कायम मुकाम 5/1 जोगाराम पुत्र रूगाराम, मोबता पुत्र भारू, बाबूलाल, जोगाराम पिसरान तगाराम, नेती पत्नी तगाराम, हनुमान पुत्र लच्छा, लाली पत्नी लच्छा, खेमाराम पुत्र पीरा, प्रतापाराम पुत्र डूंगरा, मांगीलाल, रविलाल पिसरान अमृतलाल, कमला पत्नी अमृतलाल जाति कुम्हार निवासी सरलीकलां, सरली तहसील व जिला बाडमेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 03-10-2020 (03-01-2020) को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\251 A\order 251.docx

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.02.24 15:36:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: